संख्या-148/2025/I/1119980/2025/71-1001(099)/188/2021

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 **लखनऊ : दिनाँक 17 अक्टूँबर, 2025**

विषयः-वित्तीय वर्ष 2025-26 में राजकीय मेडिकल कालेज, आगरा के लेडी लायल महिला चिकित्सालय परिसर में विस्तारीकरण योजना हेतु वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-एम0ई0/निर्माण/2025-26/114/45, दिनांक 16.05.2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 में राजकीय मेडिकल कालेज, आगरा हेतु मानक मद-24 वृहत निर्माण कार्य में प्राविधानित कुल बजट रू0 12500.00 लाख के सापेक्ष वार्षिक कार्य-योजना का प्रस्ताव उपलब्ध कराते हुए अनुमोदित किये जाने एवं राजकीय मेडिकल कालेज, आगरा राजकीय मेडिकल कालेज, आगरा के लेडी लायल महिला चिकित्सालय परिसर में विस्तारीकरण योजना हेतु रू0 5000.00 लाख की धनराशि अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- उल्लेखनीय है कि शासनादेश संख्या-127/2023/I/387598/2023-71-1001(099)/188/2021, दिनांक 14.09.2023 द्वारा राजकीय मेडिकल कालेज, आगरा के लेडी लायल महिला चिकित्सालय परिसर में विस्तारीकरण योजना हेतु व्यय वित्त समिति द्वारा आंकलित लागत रू0 450.9376 करोड़ की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करते हुए प्रश्नगत कार्य हेतु प्रथम किश्त के रूप में रू0 484.085 लाख की धनराशि निर्गत की गयी है। शासनादेश संख्या-91/2024/I/670861/2024/71-1001(099)/188/2021, दिनांक 20.06.2024 द्वारा प्रश्नगत परियोजना की आंकलित लागत रू0 45093.76 लाख के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में 35 प्रतिशत की अनुमन्य धनराशि रू0 15782.816 लाख के सापेक्ष प्रथम किश्त की अवशेष धनराशि रू0 15298.731 लाख के सापेक्ष रू0 5000.00 लाख की धनराशि निर्गत की गयी है। इस प्रकार प्रथम किश्त के रूप में 35 प्रतिशत की अनुमन्य धनराशि रू0 15782.816 लाख के सापेक्ष प्रथम किश्त की अवशेष धनराशि रू0 10298.731 लाख है।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि **राजकीय मेडिकल कालेज, आगरा के लेडी लायल महिला चिकित्सालय परिसर में विस्तारीकरण योजना** हेतु व्यय वित्त समिति द्वारा

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

आकलित लागत रू0 450.9376 करोड़ के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत पूंजीलेखा पक्ष में लेखाशीर्षक-4210-03-105-38-राजकीय मेडिकल कालेज, आगरा हेतु मानक मद-24-वृहद निर्माण कार्य में प्राविधानित धनराशि में से प्रश्नगत कार्य हेतु प्रथम किश्त की अनुमन्य अवशेष धनराशि रू0 10298.731 लाख के सापेक्ष **रू0 5000.00 लाख (रू0 पचास करोड़ मात्र)** की धनराशि अवमुक्त किये जाने की राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

नियम व शर्ते/प्रतिबन्धों-

1. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27.03.2025 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
2. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं कार्यो/मदों में किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है, किन्ही अन्य कार्यो/मदों पर धनराशि का व्यय अथवा व्ययावर्तन वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।
3. अवमुक्त धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार करते हुए व्यय नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को डाकघर/बैंक खाते में नही रखा जायेगा।
4. प्रश्नगत कार्य की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति से शासन को प्रत्येक माह अवगत कराते हुए यथासमय कार्यदायी संस्था/मेडिकल कालेज के सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त करते हुए बीएम-9 प्रपत्र पर उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन/महालेखाकार को उपलब्ध कराया जायेगा।
5. परियोजना से सम्बन्धित प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति विषयक शासनादेश संख्या-127/2023/I/387598/2023-71-1001(099)/188/2021, दिनांक 14.09.2023 में उल्लिखित शेष शर्तों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

4- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय रुपये 50,00,00,000 (रुपये पचास करोड़ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आयव्ययक मे- **अनुदान संख्या** 031 **लेखा शीर्षक** 4210031053800 मेडिकल कालेज आगरा **मानक मद** 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक (अनुभाग-1, उ शासन 0प्र0के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025-बी/1-352-दस/2025-231/2025 दिनांक 27.03. 2025में प्रशासकीय विभाग को उक्त प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

मनोज कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या/तद्दिनांक, उपर्युक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
3. प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, आगरा।
4. वित्त नियंत्रक, राजकीय मेडिकल कालेज, आगरा।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी, आगरा।
6. मुख्य अभियन्ता (भवन सेल), लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0।
7. नोडल अधिकारी, बजट एलाटमेण्ट सिस्टम, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
8. नियोजन अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
9. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

आनन्द कुमार त्रिपाठी

उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।